प्रेस नोट

थाना सुरियावां, जनपद भदोही

दिनांक-09.08.2026

*थाना सुरियावां पु लस द्वारा बैटरी चोरी करने वाले गरोह का पर्दाफाश, 02 शातिर चोर गरफ्तार; 08 चोरी की बैटरियां, 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 04 जिंदा कारतूस, ₹5,200 नगद एवं चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइ कल बरामद; जनपद भदोही के व भन्न थानों पर पंजीकृत कुल 06 चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा।*

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

जनपद में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं चोरी की घटनाओं में सं लप्त अपरा धयों की गरफ्तारी हेतु थाना सुरियावां पु लस द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चे कंग एवं पतारसी-सुरागरसी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 09.08.2026 को सुरियावां पु लस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील होकर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चे कंग के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई क जनपद में जल जीवन मशन की पानी की टं कयों, स्कूलों एवं घरों आदि स्थानों से बैटरी चोरी करने वाले दो व्यक्ति चोरी की बैटरियां लेकर मोटरसाइ कल से मोढ़ की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर वश्वास कर पु लस टीम द्वारा आपस में समन्वय स्था पत करते हुए भेटवर नहर पु लया के पास पहुंचकर कुछ समय इंतजार करने के बाद एक मोटरसाइ कल आती दिखाई दी, जिसे पु लस टीम द्वारा घेरकर रोक पूछताछ एवं सवार दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा ₹5,200 नगद बरामद हुए। मोटरसाइ कल की सीट पर रखी 02 बैटरियों के संबंध में पूछताछ करने पर बैटरियां चोरी की होना स्वीकार कया गया ।

पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण:-

पु लस द्वारा अ भयुक्तों से पूछताछ एवं उनकी निशानदेही के आधार पर जनपद भदोही में पूर्व में घटित चोरी की कुल 06 घटनाओं का सफल अनावरण कया गया है। अनावरण की गई घटनाओं में जल जीवन मशन की पानी की टं कयों, डी.जी./इन्वर्टर एवं अन्य परिसरों से बैटरियों तथा अन्य सामान की चोरी की गई थी। पु लस द्वारा उक्त सभी घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए संबं धत मुकदमों में ववेचनात्मक कार्यवाही प्रच लत की गई है।

* गरफ्तारी का ववरण:* -

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल*, अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में एवं *श्री सु मत त्रिपाठी* के नेतृत्व में आज दिनांक 09.08.2026 को थाना सुरियावां पु लस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भेटवर नहर पु लया के पास से मोटरसाइ कल सवार 02 अ भयुक्तों को गरफ्तार कया गया। गरफ्तार अ भयुक्तों की निशानदेही एवं पूछताछ के आधार पर पु लस टीम द्वारा चोरी की बैटरियां छिपाकर रखे जाने वाले खंडहरनुमा टीनशेड एवं अन्य स्थानों पर पहुंचकर कुल 06 अदद चोरी की बैटरियां बरामद की गईं। बरामद बैटरियों के संबंध में पूछताछ करने पर अ भयुक्तों द्वारा अलग-अलग स्थानों से चोरी कए जाने की बात स्वीकार की गई। अ भयुक्तों के वरुद्ध थाना सुरियावां पर मु0अ0सं0 259/2026, 238/2026, 184/2026 एवं 260/2026 से संबं धत धाराओं में अ भयोग पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त अवैध तमंचे एवं कारतूस बरामद होने के संबंध में 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी व धक कार्यवाही की गई। दोनों अ भयुक्तों को गरफ्तार कर आवश्यक व धक कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा गया।

* गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण:-*

1.सूरज गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता, निवासी नयापुर, थाना भदोही, जनपद भदोही, उम्र करीब 24 वर्ष।

2.राहुल गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता, निवासी नयापुर, थाना भदोही, जनपद भदोही, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का ववरण:-

1.चोरी की बैटरियां – 08 अदद।

2.अवैध तमंचे – 02 अदद, 315 बोर।

3.जिंदा कारतूस – 04 अदद, 315 बोर।

4.नगद धनरा श – ₹5,200/-।

5.चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइ कल – 01 अदद।

पंजीकृत/संबं धत अ भयोग: -

1. मु0अ0सं0 0259/2026 धारा 331(4), 305(ए), 317(2), 317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

2. मु0अ0सं0 0333/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।

3. मु0अ0सं0 0212/2026 धारा 303(2) बीएनएस, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

4. मु0अ0सं0 0238/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

5. मु0अ0सं0 0260/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

6. मु0अ0सं0 0184/2026 धारा 305(ए) बीएनएस, थाना सुरियावां, जनपद भदोही।

पूछताछ का ववरण:-

पूछताछ में अ भयुक्तों ने बताया क वे अपने साथी पवन मौर्य के साथ मलकर जनपद में अलग-अलग स्थानों पर बैटरी एवं इन्वर्टर चोरी करते थे। इनके द्वारा वशेष रूप से जल जीवन मशन की पानी की टं कयों, स्कूलों एवं घरों आदि स्थानों को निशाना बनाया जाता था। चोरी करने के बाद बैटरियों एवं इन्वर्टर को तत्काल नहीं बेचते थे, बल्कि उन्हें एक खंडहरनुमा टीनशेड में छिपाकर रखते थे तथा मौका मलने पर कबा ड़यों को बेच देते थे।पूछताछ में अ भयुक्तों द्वारा पूर्व में चोरी की गई व भन्न बैटरियों के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिनमें जल निगम/जल जीवन मशन से संबं धत बैटरियां, इन्वर्टर की बैटरियां तथा अन्य स्थानों से चोरी की गई बैटरियां शा मल हैं। अ भयुक्तों ने यह भी बताया क पूर्व में चोरी कए गए इन्वर्टर, राउटर, डीवीआर एवं स्टेबलाइजर आदि सामान को चलते- फरते कबा ड़यों को बेच दिया गया था।अवैध तमंचे एवं कारतूस रखने के संबंध में पूछताछ करने पर अ भयुक्तों द्वारा बताया गया क चोरी करते समय यदि कोई व्यक्ति उन्हें पकड़ने का प्रयास करता था तो अपने बचाव के लए वे अवैध असलहे अपने पास रखते थे।पु लस टीम द्वारा अ भयुक्तों की निशानदेही पर चोरी की बैटरियों एवं अन्य चोरी के सामान के संबंध में आवश्यक बरामदगी की गई है। प्रकरण में अ ग्रम ववेचनात्मक एवं व धक कार्यवाही प्रच लत है।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 वनोद कुमार तिवारी, चौकी प्रभारी पाली, उ0नि0 सच्चिदानन्द राय, चौकी प्रभारी ख्योंर, उ0नि0 संजय संह, , का0आशीष शुक्ला, का0 आशीष चौहान का0 शकील खाँ, का0 पंकज यादव, का0 अहम संह थाना सुरियावां।